2006:CGHC:7167-DB

XI-HC-22

ए°एफ°आर°1 + 45

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, **बिलासपुर**
आदेश पत्रक
मामला क्रमांक सीआर°ए° क्र° 582/97
... ...
विरुद्ध... ... ...

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अंतिम आदेश

युगलपीठ: – माननीय श्री एल.सी. भादू एवं

माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीशगण

2-2-2006

श्री विष्णु कोष्टा, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता।

श्री यू.एन.एस. देव, अतिरिक्त लोक अभियोजक तथा श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से।

मौखिक निर्णय पीठ पर लिखवाया गया।

द्वारा एल.सी. भादू, न्यायाधीश।

अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण ने यह अपील, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अन्तर्गत, विद्वान सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 158/95 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश दिनांक 11-12-96 की वैधता पर प्रश्न उठाते हुए प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को पंचम सिरहा की हत्या कारित करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अपराध का दोषी पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त/अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।

अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह है कि दिनांक 25-3-95 को 16.25 बजे, साक्षी-1 ग्वालिन बाई ने पुलिस थाना बोधघाट में एक मर्ग सूचना प्रदर्श-पी/7 इस आशय की दी कि आज लगभग 15.15 बजे बस चालक राम नारायण, पंचम सिरहा के घर आया था। अभियुक्त जितेन्द्र और बिंदेश समान आशय से घर आए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[पीछे देखिये

2006:CGHC:7167-DB

XI-HC-22

ए°एफ°आर°2 + 45

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, **बिलासपुर**
आदेश पत्रक
मामला क्रमांक सीआर°ए° क्र° 582/97
... ...
विरुद्ध... ... ...

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अंतिम आदेश

और कहने लगे कि 'आज तुम्हारे घर ड्राइवर आया है, इसलिए उसे बाहर भेजो, हम उसे मार डालेंगे,' जिस पर पंचम सिरहा ने उत्तर दिया कि 'वह मेरा मेहमान है, उसे मत मारो'। उसी समय, अभियुक्त बिंदेश ने पंचम सिरहा को गर्दन से पकड़ लिया और जितेन्द्र ने पंचम सिरहा के पेट पर एक चाकू जैसे लोहे के हथियार से बड़े जोर से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप पंचम सिरहा नीचे गिर गया। वह उसे उपचार के लिए महारानी अस्पताल ले गई लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत लाया घोषित कर दिया। यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर, थाना प्रभारी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी/4 दर्ज की, अस्पताल के लिए रवाना हुए और पंचम सिरहा के मृत शरीर का पंचनामा प्रदर्श-पी/1 तैयार किया। विवेचना अधिकारी ने घटना स्थल से सादी मिट्टी और खून सनी मिट्टी को भी प्रदर्श-पी/2 के तहत कब्जे में लिया। मृतक पंचम सिरहा की बनियान, शर्ट और धोती को प्रदर्श-पी/3 के तहत कब्जे में लिया गया। अभियुक्त जितेन्द्र ने पुलिस हिरासत में रहते हुए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत एक मेमोरेंडम प्रदर्श-पी/5 उस स्थान के संबंध में दिया जहाँ उसने लोहे का चाकू (गुप्ती) (संक्षेप में 'चाकू') रखा था। उसके अनुसरण में, लोहे के चाकू (गुप्ती) को प्रदर्श-पी/6 के तहत कब्जे में लिया गया। शव परीक्षण डॉ. के.आर. मौर्य द्वारा किया गया और उन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श-पी/12 तैयार की। विवेचना अधिकारी ने डॉक्टर से एक राय प्रदर्श-पी/10 मांगी कि क्या अपराध के हथियार, लोहे के चाकू (गुप्ती) से मृत्यु कारित की जा सकती है। डॉक्टर ने अपनी राय प्रदर्श-पी/13 दी कि मृतक पंचम सिरहा के शरीर पर पाई गई चोटें अपराध के हथियार लोहे के चाकू (गुप्ती) से कारित हो सकती हैं। चाकू के ब्लेड की लंबाई केंद्र में 36 सेमी. और बाहरी हिस्से से 46 सेमी. थी।

विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, अभियोग पत्र न्यायिक दंडाधिकारी, जगदलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, जगदलपुर को सुपुर्द कर दिया, जहाँ अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने हेतु 6 साक्षीगण का परीक्षण कराया। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दण्ड प्रक्रिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[पीछे देखिये

2006:CGHC:7167-DB

XI-HC-22

ए°एफ°आर°3 + 45

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, **बिलासपुर**
आदेश पत्रक
मामला क्रमांक सीआर°ए° क्र° 582/97
... ...
विरुद्ध... ... ...

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अंतिम आदेश

संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत अभियुक्तगण के कथन अभिलिखित किये गए, जिसमें दोनों अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य का खंडन किया और कहा कि उन्हें इस अपराध में झूठा फंसाया गया है।

लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के पश्चात, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तगण को इस निर्णय के पैरा-1 में उल्लेखानुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

मृतक पंचम सिरहा की मानववध मृत्यु विवादित नहीं है।

जहां तक प्रश्नगत अपराध में अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण की संलिप्तता का संबंध है, अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु कोष्टा ने पुरजोर तरीके से यह तर्क दिया कि जहां तक अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 2 बिंदेश का संबंध है, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उसने गुप्ती से हमला किया या वह अपने साथ किसी प्रकार का कोई हथियार लिए हुए था या उसे इस बात की जानकारी थी कि सह-अभियुक्त जितेन्द्र अपने साथ चाकू लिए हुए था, इसलिए, वह पंचम सिरहा पर चाकू से हमला करने के लिए अभियुक्त जितेन्द्र के साथ समान आशय साझा नहीं कर रहा था। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि केवल एक ही चाकू का घाव था, इसलिए, किसी भी दशा में, अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-भाग II से आगे नहीं जाता है।

दूसरी ओर, श्री यू.एन.एस. देव, विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक तथा श्री अखिल मिश्रा, विद्वान पैनल अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

[पीछे देखिये

2006:CGHC:7167-DB

XI-HC-22

ए°एफ°आर°4 + 45

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, **बिलासपुर**
आदेश पत्रक
मामला क्रमांक सीआर°ए° क्र° 582/97
... ...
विरुद्ध... ... ...

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अंतिम आदेश

संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों का विवेचन करने हेतु, हमने साक्ष्य का परिशीलन किया है। अ°सा°-1 श्रीमती ग्वालिन बाई एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जिसने प्रश्नगत अपराध को देखा है और वह मृतक पंचम सिरहा की पत्नी है। उसने सुस्पष्ट रूप से कथन किया है कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर लगभग 3 बजे एक ड्राइवर उनके घर आया और उन्होंने उससे भोजन करने के लिए कहा, उसी समय, अभियुक्त जितेन्द्र और बिंदेश उनके घर आए और कहा कि ड्राइवर को बाहर भेजा जाए, वे उसे मार डालेंगे, जिस पर उन्होंने उत्तर दिया कि 'जब वह हमारे घर से चला जाए तब तुम उसे मार लेना, अभी उसे मत मारो'। जिस पर अभियुक्त बिंदेश ने उसके पति, पंचम सिरहा को पकड़ लिया और उसे घर से बाहर ले गया। अभियुक्त जितेन्द्र ने पंचम सिरहा को चाकू से घोंप दिया और अभियुक्तगण भाग गए। पंचम सिरहा नीचे गिर गया। तत्पश्चात, वह अपने भतीजे गौतम के साथ पंचम सिरहा को एक रिक्शे में महारानी अस्पताल ले गई जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत लाया घोषित कर दिया। उसने रिपोर्ट प्रदर्श-पी/4 दर्ज कराई।

अ°सा°-2 तुलसा ने कथन किया है कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर लगभग 3 बजे एक ड्राइवर उनके घर आया था। उसके पिता पंचम सिन्हा, ड्राइवर और परिवार के सदस्य भोजन कर रहे थे, उसी समय, अभियुक्तगण अर्थात्, जितेन्द्र और बिंदेश उनके घर आए और कहा कि ड्राइवर को बाहर भेजो, हम उसे मार डालेंगे। अभियुक्त बिंदेश उसके पिता को घर से बाहर ले गया और जितेन्द्र ने उसके पिता को चाकू से घोंप दिया। दोनों अभियुक्तगण भाग गए। उसकी माँ उसके पिता को एक रिक्शे में अस्पताल ले गईं। अ°सा°-4 गौतम ने भी उपरोक्त साक्ष्य की संपुष्टि की है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, समान आशय के संबंध में, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरिजा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो 2004 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 810 में प्रकाशित है, के मामले में धारित किया गया है कि:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[पीछे देखिये

2006:CGHC:7167-DB

XI-HC-22

ए°एफ°आर°5 + 45

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, **बिलासपुर**
आदेश पत्रक
मामला क्रमांक सीआर°ए° क्र° 582/97
... ...
विरुद्ध... ... ...

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अंतिम आदेश

"कार्रवाई में भागीदारी का तत्व स्थापित किया जाना है। कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के दौरान किसी अन्य द्वारा किए गए अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के तहत तब उत्पन्न होता है जब ऐसा आपराधिक कृत्य उन व्यक्तियों के समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है जो अपराध करने में शामिल होते हैं। समान आशय का प्रत्यक्ष प्रमाण दुर्लभ होता है और, इसलिए, ऐसे आशय का अनुमान केवल मामले के सिद्ध तथ्यों से प्रकट होने वाली परिस्थितियों और सिद्ध परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है। समान आशय के आरोप को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य द्वारा, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परिस्थितिजन्य, यह स्थापित करना होता है कि धारा 34 की सहायता से आरोपित अपराध को करने के लिए सभी अभियुक्त व्यक्तियों की कोई योजना थी या मस्तिष्कों का मिलन था, चाहे वह पूर्व-नियोजित हो या क्षणिक आवेग में; लेकिन यह आवश्यक रूप से अपराध किए जाने से पहले होना चाहिए। धारा 34 की सही अवधारणा यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति साशय कोई कार्य संयुक्त रूप से करते हैं, तो कानून में स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने इसे व्यक्तिगत रूप से स्वयं किया हो। किसी अपराध में प्रतिभागियों के बीच एक समान आशय का अस्तित्व इस धारा के लागू होने के लिए आवश्यक तत्व है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी अपराध को संयुक्त रूप से करने के आरोपी कई व्यक्तियों के कार्य समान या हूबहू समान हों। कार्य चरित्र में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इस प्रावधान को लागू करने के लिए एक ही समान आशय से प्रेरित होने चाहिए। यह धारा 'सभी का समान आशय' नहीं कहती है, और न ही यह 'सभी के लिए एक समान आशय' कहती है। धारा 34 के प्रावधानों के तहत दायित्व का सार एक समान आशय के अस्तित्व में पाया जाता है जो अभियुक्त को ऐसे आशय को अग्रसर करने में एक आपराधिक कृत्य करने के लिए अनुप्राणित करता है।"

उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, यदि हम अ°सा°-1 श्रीमती ग्वालिन बाई, अ°सा°-2 तुलसा एवं अ°सा°-4 गौतम, जो अपराध कारित किए जाने के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[पीछे देखिये

2006:CGHC:7167-DB

XI-HC-22

ए°एफ°आर°6 + 45

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, **बिलासपुर**
आदेश पत्रक
मामला क्रमांक सीआर°ए° क्र° 582/97
... ...
विरुद्ध... ... ...

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अंतिम आदेश

समय घटना स्थल पर उपस्थित थे, के साक्ष्य का परिशीलन करें। उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि दोनों अभियुक्तगण अर्थात्, जितेन्द्र और बिंदेश, जो सगे भाई हैं, एक साथ मृतक के निवास पर आए और उससे घर के अंदर मौजूद ड्राइवर को बाहर भेजने के लिए कहा क्योंकि वे उसे मार डालेंगे। उसके इंकार करने पर, बिंदेश, पंचम सिरहा को घर से बाहर ले गया और एक क्षण भी प्रतीक्षा किए बिना, अभियुक्त जितेन्द्र ने पंचम सिरहा को उसके पेट में चाकू से घोंप दिया जिसके परिणामस्वरूप पंचम सिरहा की तत्काल मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क पर आते हुए कि अभियुक्त बिंदेश, पंचम सिरहा को मारने का समान आशय साझा नहीं कर रहा था और उसे उस हथियार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसे सह-अभियुक्त जितेन्द्र लिए हुए था। इस तर्क को स्वीकार करना इस कारण से कठिन है कि पहली बार में हथियार का आकार ऐसा था कि यह कल्पना करना कठिन है कि सह-अभियुक्त के साथ वाला एक अभियुक्त उस हथियार को नहीं देख सका होगा जिसे सह-अभियुक्त लिए हुए था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि चाकू के ब्लेड के मध्य भाग का आकार भी 36 सेमी. था और बाहरी हिस्से से चाकू की लंबाई 46 सेमी. थी। इसके अलावा, दोनों भाई थे और वे मृतक के घर पर मौजूद राम नारायण पर हमला करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ आए थे। जब मृतक ने इस पर आपत्ति की, तो बिना दूसरा विचार किए, बिंदेश ने तुरंत पंचम सिरहा को घर से बाहर निकाल लिया और अभियुक्त जितेन्द्र ने उसे चाकू घोंप दिया। इसलिए, उपरोक्त साक्ष्य के अनुसार यह सुस्पष्ट था कि अभियुक्त बिंदेश, अभियुक्त जितेन्द्र के साथ समान आशय साझा कर रहा था।

अब, श्री विष्णु कोष्टा के तर्क के दूसरे पहलू पर आते हुए कि अभियुक्तगण पंचम सिरहा की मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं आए थे, अभियुक्तगण के आशय का अनुमान प्रयुक्त हथियार, हथियार के आकार, उस स्थान जहाँ हमला

[पीछे देखिये

2006:CGHC:7167–DB

XI–HC–22

ए°एफ°आर°7 + 45

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, **बिलासपुर**
आदेश पत्रक
मामला क्रमांक सीआर°ए° क्र° 582/97
... ...
विरुद्ध... ... ...

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अंतिम आदेश

हुआ, हमले की पृष्ठभूमि के तथ्यों, और शरीर के उस अंग जहाँ प्रहार किया गया था, से लगाया जा सकता है। वर्तमान मामले में, स्वीकृत रूप से, अभियुक्तगण राम नारायण पर हमला करने की पूर्व–योजना से आए थे और उन्होंने पंचम सिरहा को अपना आशय बहुत स्पष्ट कर दिया था कि ड्राइवर को बाहर भेजा जाए, वे उसे मार डालेंगे। इसके अलावा, वे एक चाकू के साथ आए थे। चाकू के ब्लेड का आकार मध्य बिंदु से 36 सेमी लंबा और बाहरी हिस्से से 46 सेमी लंबा था। इतने लंबे चाकू से पेट में, अर्थात् पंचम सिरहा के शरीर के मर्मस्थल पर घोंपना, अभियुक्तगण के आशय को बहुत स्पष्ट करता है कि उन्होंने मृतक पर मारने के आशय से हमला किया था। डॉ. के.आर. मौर्य (अ°सा°–6) के साक्ष्य के अनुसार, पेट के केंद्र में 1.5 सेमी x 0.5 सेमी आकार का एक घोंपने का घाव था जो उदर गुहा तक गहरा था और लंबवत रूप से 1 सेमी नीचे स्थित था। यकृत के बाएं पालि की भीतरी सतह पर 0.2 सेमी x 1.5 सेमी आकार का एक छिद्रित घाव अर्थात् प्रवेश का घाव था, निकास का घाव 1 सेमी x 0.5 सेमी आकार का था। यकृत पर 0.2 सेमी x 1.5 सेमी आकार की चोट थी और मृतक की तत्काल मृत्यु हो गई। इसलिए, इस तथ्य को देखते हुए कि अभियुक्तगण पूर्व–योजना के साथ आए थे, अपराध की प्रकृति और यह तथ्य भी कि मृतक के शरीर के मर्मस्थलों पर घोंपने का घाव किया गया था, मृतक की मृत्यु कारित करने का अभियुक्तगण का आशय सुस्पष्ट था। इसलिए, हम विचारण न्यायालय के उस निष्कर्ष में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं पाते हैं जिसमें अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया गया है।

परिणामस्वरूप, अपील सारहीन होने से, ख़ारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा ख़ारिज की जाती है।

बर्वे	हस्ता°/– एल°सी° भादू न्यायाधीश	हस्ता°/– धीरेंद्र मिश्रा न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[पीछे देखिये

2006:CGHC:7167–DB

XI–HC–22

ए°एफ°आर°8 + 45

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, **बिलासपुर**
आदेश पत्रक
मामला क्रमांक सीआर°ए° क्र° 582/97
... ...
विरुद्ध... ... ...

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: Shantam Awasthi (शान्तम् अवस्थी)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[पीछे देखिये